न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40/2007

1 मृतक प्रभुराम पुत्र गणपतराम।
1/1 श्रीमती नानची देवी पत्नी प्रभुराम।
1/2 जगदीश पुत्र प्रभुराम।
1/3 बुधराम पुत्र प्रभुराम।
1/4 अशोक कुमार पुत्र प्रभुराम।
1/5 श्रीमती उसारी पत्नी रतनलाल।
1/6 श्रीमती बिमला पत्नी हीरालाल।
1/7 श्रीमती बंटा पत्नी रामचन्द्र।
1/8 श्रीमती मंजु पत्नी रामसिंह।
2 मृतक मामराज पुत्र सीताराम।
2/1 श्रीमती धनकोरी विधवा मामराज।
2/2 बहादुर पुत्र मामराज।
2/3 जगदीश पुत्र मामराज।
2/4 शीशराम पुत्र मामराज।
3 मृतक गुगन पुत्र सीताराम।
3/1 जयनारायण पुत्र गुगन।
3/2 घड़सीराम पुत्र गुगन।
3/3 घीसाराम पुत्र गुगन।
4 प्रहलाद पुत्र मदनलाल।
5 मृतक बिड़दाराम पुत्र रामुराम।
5/1 मंगतुराम पुत्र बिडदाराम।
5/2 प्रभात पुत्र बिड़दाराम।
6 मृतक ध्यालाराम पुत्र सीताराम।
6/1 नाथाराम पुत्र ध्यालाराम।
6/2 कल्लाराम पुत्र ध्यालाराम।
6/3 माडुराम पुत्र ध्यालाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

7 गोकलराम पुत्र भगवानाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण झुझारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुंझुनू।
2 सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय भवन जयपुर।
3 सचिव पुर्नवास विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय भवन जयपुर।
4 हाईरेक्टर जनरल निष्क्रान्त सम्पति पुनर्वास मंत्रालय सचिवालय नई दिल्ली।
5 मृतक अनीराम पुत्र गोरधन।
5/1 पूर्णमल पुत्र अनीराम समस्त जाति चमार निवासीगण झुझारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
5/2 श्रीमती मंजु पत्नी पप्पु।
5/3 श्रीमती सुशीला पत्नी सुरेन्द्र समस्त जाति चमार निवासीगण मावण्डा उर्फ माण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दिनांक 13.04.2007 दावा उनवानी प्रभुराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार आदि दावा घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा आदि दावा सं. 233/98

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जगदीश चन्द, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांकः— 13.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 233/1998 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 572 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 810 रकबा 1.42 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 915/803 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर वाके ग्राम झुझारपुरा के बाबत अपीलांट वादी ने रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण के खिलाफ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में दावा घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती अभिलेख पेश किया। उक्त दावे में रेस्पोडेंट नम्बर 2 से 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी और रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4 प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 ने विचारण न्यायालय में जवाब दावा पेश नही किया। रेस्पोडेंट नम्बर 5 ने जवाब दावा पेश किया इसके बाद विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु कायम कर साक्ष्य के उपरान्त अपीलांट वादीगण का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने खारिज कर रेस्पोडेंट नम्बर 5 प्रतिवादी नम्बर 5 के लिए तहसीलदार खेतड़ी के यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत अनुतोष पारित करने के डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे में दर्ज तथ्यों के आधार पर विवाद बिन्दु कायम नही किए। विचारण न्यायालय ने जबानी शहादत व दस्तावेजी शहादत का न तो विवेचित किया और न ही मानने या न मानने के बाबत निर्णय दिया इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय साक्ष्य का अवलोकन व विवेचन किए बिना पारित होने से व विधि विरूद्व होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विवादित जमीन को राजकीय खाते में की होना किस आधार पर माना यह अंकित नही किया। विवाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय परस्पर विरोधी कथन लिए हुये है। विचारण न्यायालय ने इमामुदीन व खुरशेद अली की खातेदारी में जमीन होना माना है लेकिन यह दर्ज नही किया कि इनकी खातेदारी किस आधार पर खत्म हुई। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित जमीन पर अपीलांट का कब्जा है। रेस्पोडेंट नम्बर 5 प्रतिवादी नम्बर 5 ने जवाब दावे मे व अन्य सबूत मे यह कही भी अंकित नही किया कि अपीलांट कब व किस आधार पर कब्जे में आये इससे साफ जाहिर है कि अपीलांट का कब्जा अधिनियम 1955 लागू होने से कानूनी प्रावधान के तहत टीनेन्टस हुए व लगान अदा किया। जवाब दावे में यह कथन नही है कि रेस्पोडेंट नम्बर 5 प्रतिवादी नम्बर 5 को भूमि आंवटित हुई तब किसका कब्जा था। उसका यह भी कथन नही है कि आंवटित नियमो की पालना में उसे सनद दिया गया हो और जब तक सनद नही दिया जाता तब तक आंवटन पूर्ण नही होता है। रेस्पोडेंट नम्बर 5 ने न तो सनद पेश की और न सनद होने का कथन किया सनद के अभाव में आवंटन पूर्ण न होने से रेस्पोडेंट नम्बर 5 को कोई हक नही मिल सकते। विशेष रूप से रेस्पोडेंट नम्बर 5 ने जवाब दावे में इंकार नही, इस कारण आदेश 8 नियम 5 सीपीसी के प्रावधान के मुताबिक यह स्वीकृति मानी जावेगी कि अधिनियम सन् 1955 लागु हुआ उससे पूर्व से ही वादीगण का कब्जा है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि प्रतिवादी को भू–आंवटन सलाहकार समिति ने आंवटित की है इस आंवटन को निरस्त कराने हेतु वादीगण ने अपीलीय न्यायालयों में अपीले भी की परन्तु किसी भी न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5 के आंवटन को गलत नहीं माना है और न ही निरस्त किया है। यहां तक कि इस आवंटन को वादीगण द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 244/97 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे भी चुनौती दी परन्तु रिट पिटीशन के निर्णय दिनांक 31.03.1998 में माननीय उच्च न्यायालय ने वादीगण को अतिक्रमी माना है व प्रतिवादी संख्या 5 के आंवटन को निरस्त नही कया है। बहस के समय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.1998 की फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध कराई जो शामिल पत्रावली है। आंवटन के बाद प्रतिवादी संख्या 5 को विधिवत पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया व उस कब्जे की रिपोर्ट के पश्चात 14.07.1987 को पट्टा जारी गैर खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया व 17.09.1998 को कैम्प मानोता कलां में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा मजमें आम में खातेदारी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया। प्रतिवादी संख्या 5 अनुसूचित जाति का सदस्य है व वादीगण स्वर्ण जाति के है जिन्होने जबरन प्रतिवादी संख्या 5 अनुसूचित जाति के सदस्य की आंवटित शुद्वा व खातेदारी की भूमि पर बिना विधिपूर्वक प्राधिकार के कब्जा कर लिया है। वादीगण को धारा 183 बी के तहत बेदखल करने के लिए अप्रार्थी संख्या 5 ने तहसीलदार खेतड़ी के यहां आवेदन किया था परन्तु वहां पर उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां यह वाद चलने का कारण बताते हुए वाद के निर्णय तक कार्यवाही ड्राप कर दी है। इसलिए इस वाद में प्रतिदावा स्वीकार करते हुए वादीगण को प्रतिवादी संख्या 5 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है की खातेदारी की भूमि से बेदखल किया जावें। प्रतिवादी संख्या 5 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है व इस भूमि का खातेदार है अत अब इस भूमि की खातेदारी किसी अन्य स्वर्ण जाति के नाम नही हो सकती है अन्यथा यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सेक्शन 42–बी का उल्लघन होगा। प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादीगण संवत 2012 या उसके बाद कभी भी इस भूमि के उपकृषक दर्ज नही रहे है व इस सम्बंध में कोई राजस्व रिकार्ड भी पेश नही किया है। संवत 2012 में वादीगण ने अपना कब्जा साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः केवल मात्र संवत 2038 व 2042 में राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमी की हैसियत से दर्ज होने से एवं संवत 2035,2036, 2038 व 2042 के अतिक्रमण की कार्यवाही के नोटिस पेश कर देने से वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी को भू–आंवटन सलाहकार समिति ने आंवटित की है इस आंवटन को निरस्त कराने हेतु वादीगण ने अपीलीय न्यायालयों में अपीले भी की परन्तु किसी भी न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5 के आंवटन को गलत नहीं माना है और न ही निरस्त किया है। यहां तक कि इस आवंटन को वादीगण द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 244/97 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे भी चुनौती दी परन्तु रिट पिटीशन के निर्णय दिनांक 31.03.1998 में माननीय उच्च न्यायालय ने वादीगण को अतिक्रमी माना है व प्रतिवादी संख्या 5 के आंवटन को निरस्त नही कया है। बहस के समय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.1998 की फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध कराई जो शामिल पत्रावली है। आंवटन के बाद प्रतिवादी संख्या 5 को विधिवत पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया व उस कब्जे की रिपोर्ट के पश्चात 14.07.1987 को पट्टा जारी गैर खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया व 17.09.1998 को कैम्प मानोता कलां में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा मजमें आम में खातेदारी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया। प्रतिवादी संख्या 5 अनुसूचित जाति का सदस्य है व वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

स्वर्ण जाति के है जिन्होने जबरन प्रतिवादी संख्या 5 अनुसूचित जाति के सदस्य की आंवटित शुद्वा व खातेदारी की भूमि पर बिना विधिपूर्वक प्राधिकार के कब्जा कर लिया है। वादीगण को धारा 183 बी के तहत बेदखल करने के लिए अप्रार्थी संख्या 5 ने तहसीलदार खेतड़ी के यहां आवेदन किया था परन्तु वहां पर उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां यह वाद चलने का कारण बताते हुए वाद के निर्णय तक कार्यवाही ड्राप कर दी है। इसलिए इस वाद में प्रतिदावा स्वीकार करते हुए वादीगण को प्रतिवादी संख्या 5 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है की खातेदारी की भूमि से बेदखली के आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। प्रतिवादी संख्या 5 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है व इस भूमि का खातेदार है अत अब इस भूमि की खातेदारी किसी अन्य स्वर्ण जाति के नाम नही हो सकती है अन्यथा यह सेक्शन 42–बी का उल्लंघन होगा। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादीगण संवत 2012 या उसके बाद कभी भी इस भूमि के उपकृषक दर्ज नही रहे है व इस सम्बंध में कोई राजस्व रिकार्ड भी पेश नही किया है। संवत 2012 में वादीगण ने अपना कब्जा साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः केवल मात्र संवत 2038 व 2042 में राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमी की हैसियत से दर्ज होने से एवं संवत 2035,2036, 2038 व 2042 के अतिक्रमण की कार्यवाही के नोटिस पेश कर देने से वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर